श्रीमान्
76
23-2-2021

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

प्रार्थी/परिवादी	**बनाम**	**प्रतिवादी/अभियुक्त**
श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधि. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही		जितेन्द्र पुरोहित पुत्र प्रेम शंकर जी, जाति–पुरोहित, निवासी–छोटी ब्रह्मपुरी, सिरोही, तहसील–सिरोही, जिला–सिरोही (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)
	फर्मः	अमर प्रेम मसाले, शाहजी की बाडी, सिरोही, तह. सिरोही, जिला–सिरोही

किस्म मुकदमा – धारा 26(2)(ii) एवं 52
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

प्रकरण संख्याः 15 /2021

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
23.2.2021	श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) एवं 52 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त जितेन्द्र पुरोहित के विरुद्ध दिनांक 23.2.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 5.4.2012 के द्वारा जिलें में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रस्तुत न्याय निर्णय आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रकरण में आज दिनांक 23.2.2021 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी जितेन्द्र पुरोहित पुत्र प्रेम शंकर जी, जाति– पुरोहित, निवासी– छोटी ब्रह्मपुरी, सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, अमर. प्रेम मसाले, शाहजी की बाडी, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित हुये। प्रतिवादी जितेन्द्र पुरोहित को नोटिस पढ़कर सुनाया गया एवं न्याय निर्णय आवेदन पत्र की एक प्रति दिलवाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी जितेन्द्र पुरोहित ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 30.7.2020 को जिस मिर्च पाउडर (अंशुल [illegible]) का नमूना [illegible] हेतु लिया गया था जो जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप [illegible] है। मिर्च पाउडर जांच में सही पाया गया है, लेकिन [illegible] पर फारमेल्टी पूरी नही होने के कारण मिथ्याछाप [illegible] है मेरे पास इस मिर्च पाउडर खरीद का बिल नहीं है क्योंकि मुझे बिल मिला नही था। यह मेरी प्रथम [illegible] है, भविष्य में बिल ....लगातार	

23/2/21

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:59 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 15/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल मे जारी हुए

सहित माल प्राप्त करके ही बेचान करुंगा। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मुश्किल से गुजर बसर करता हूँ। कृपया मेरी प्रथम गलती को माफ करते हुए मुझे इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा उक्तानुसार जवाब प्रस्तुत कर जुर्म/गलती स्वीकार कर ली जाने से प्रकरण में दोनों पक्षों की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) का विक्रय किया है, इसलिये प्रतिवादी पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकरण से मुक्त करने का अनुरोध किया।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 07.11.2020 को समय 12.15 पी.एम. पर फर्म अमर प्रेम मसाले, शाहजी की बाडी, सिरोही, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हैसियत से प्रतिवादी जितेन्द्र पुरोहित पुत्र प्रेम शंकर जी, जाति– पुरोहित, निवासी– छोटी ब्रह्मपुरी, सिरोही, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए दुकान के अन्दर आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) के 4 पैक्ड बैग (प्रत्येक 5 किलोग्राम) में से एक बैग को खोलकर उसमें मौजूद चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया व इस एकरुप किये चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) में से 2 किलोग्राम चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु मौके पर उपस्थित गवाह के समक्ष नियमानुसार कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-[illegible] को जांच हेतु [illegible] विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक [illegible] की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./854/Act/2020/854 दि[illegible] 15.12.2020 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) [illegible] प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है [illegible] पदार्थ चिल्ली

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.06.09 17:06:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 15/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) के क्रय का बिल आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रस्तुत नही किया है एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी जितेन्द्र पुरोहित द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (अंशुल ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत प्रतिवादी जितेन्द्र पुरोहित पुत्र श्री प्रेमशंकर, जाति– पुरोहित, निवासी– छोटी ब्रह्मपुरी, सिरोही, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फ़र्म अमर प्रेम मसाले, शाहजी की बाडी, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 7,000/– (अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त प्रतिवादी जितेन्द्र पुरोहित को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 10.3.2021 को पेश हो। 23/2/2021 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही Signature Not Verified Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya Date: 2021.06.09 17:06:59 IST Reason: SelfAttested	